किशोर सिंह आदि - रोहित सिंह आदि प्र.सं. 13/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18.3.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15.4.25 को पेश हो।	
15.4.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22.4.25 को पेश हो।	
22.4.25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज S.O. [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 23.4.25 को पेश हो।	
23.4.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.5.25 को पेश हो।	
14.5.25	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रा. वास्ते आदेश दिनांक 16.5.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
16.5.25	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट रविन्द्र सिंह आदि की निर्णय [illegible] के विरुद्ध [illegible] दाखिल पत्रावली [illegible] किया गया। निर्णय पृथक से [illegible] सुनाया गया। पत्रा. मुताबिक शुमार होकर नकल के जुड होकर बाद तकमील तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 13/2023

1 किशोर सिंह उम्र 55 साल
2 मगन सिंह उम्र 57 साल
समस्त पुत्रगण नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खाखोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर। मो. नम्बर 8094545993

अपीलांटस

बनाम

1 रोहित सिंह उर्फ रोयत सिंह दत्तक पुत्र सरदार सिंह
2 हरेन्द्र सिंह दत्तक पुत्र दान सिंह जायन्दा पुत्र हनुमान सिंह
3 पृथ्वी सिंह पुत्र नारायण सिंह
4 सन्तोष कंवर पुत्री नारायण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम खाखोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
5 भूमिधारी तहसीलदार सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर बउनवानी रोहित सिंह वगै. बनाम किशोर सिह वगै. मुकदमा नम्बर 25/2021 251 ए आरटीए निर्णय दिनांक 30.01.2023

उपस्थिति :

1. श्री विजयसिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दीनानाथ शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री धर्मवीर सिंह नाथावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

—निर्णय—

दिनांकः— 16/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 25/2021 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 357, 356 वाके ग्राम खाखोली तहसील धोद का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट खेत खसरा नम्बर 356 की उत्तरी सींव के सहारे—सहारे नजदीकी रास्ता मानकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जबकि सही स्थिति यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जो कि खसरा नम्बर 357 के खातेदार है खसरा नम्बर 612/358 की दक्षिणी सीमा पर कटाणशुदा रास्ता खसरा नम्बर 613/358 मौजूद है जो आकर खसरा नम्बर 611/358 में आता है जहां से पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे खसरा नम्बर 356 में जाने का सबसे सुगम व नजदीकी रास्ता है धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि रास्ता वहीं उपलब्ध करवाया जायेगा जो सबसे नजदीक व सुगम हो न कि आवेदनकर्ता की सुविधा के लिए इसी कारण तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में भी उक्त रास्ते की रिपोर्ट भिजवायी थी लेकिन विचारण न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर किये बिना अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 356 की उत्तरी सींव के सहारे—सहारे रास्ता कायम किया गया है जो अन्य रास्तों से अधिक दूरी पर है विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गोर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के रिकार्ड पर दोनों रिपोर्ट अर्थात अपीलान्ट के खेत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 356 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे रास्त कायम करने पर लगने वाली भूमि व खसरा नम्बर 613/358 रास्ता जो कि कटाणशुदा है जो खसरा नम्बर 611/358 तक आता है जहां से प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 357 में आने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता ले सकता है विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में न रखकर अर्थात नजदीकी रास्ते को ध्यान में न रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। राजस्व रिकार्ड नक्शे का अवलोकन करने से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 357 की पश्चिमी सीमा की तरफ ग्राम ढाणी चुड़ोली की तरफ से भी ाख्सरा नम्बर 144 ग्राम ढाणी चुडोली में मौजूद कटाण का रास्ता मौजूद है जो खसरा नम्बर 357 ग्राम खाखोली के भी पश्चिमी ओर टच होता है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना लम्बी दूरी का रास्ता जो अपीलान्ट के खेत से कायम कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रार्थीगण को उसकी सुविधा के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा अपितु उसके कोई भी रास्ता नहीं लगने पर सबसे नजदीकी जो भी रास्ता उपलब्ध होगा वह उपलब्ध करवाया जायेगा लेकिन विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 357 के दक्षिण में अवस्थित खेत खसरा नम्बर 611/358 की दक्षिणी सीमा तक रास्ता कटाणशुदा रास्ता आता है वह सबसे नजदीक है तथा ढाणी चुडोली की तरफ से भी मौके पर रास्ता आकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 357 के टच होता है इन तथ्यों को नजर अंदाज कर प्रार्थी की सुविधा के लिए विचाराधीन निर्णय से रास्ता उपलबध करवाया है जो अधिनियम की मंशा के विपरित होने से पारित किया गया निर्णय खारिज होने योग्य है। खसरा नम्बर 357 की भूमियां बैंक के यहां रहन थी लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जानबुझकर बैंक को नुकसान पहुचाने की गरज से उन्हें पक्षकार के रूप से संयोजित नहीं किया गया इस कारण आवेदन मेन्टेनेबल नहीं था इसके बावजूद विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय ने इन तथ्यों की ओर ध्यान न देकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्टस द्वारा विचारण न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का विरोध करते हुए निरस्त करने की मांग की तथा वास्तविक वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रार्थीगण की उपस्थिति में वैकल्पिक रास्ता उपलब्धता को दर्शित करते हुए मंगवाये जाने का निवेदन किया गया था लेकिन विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाते हुए विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि यदि वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो उस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए ही विधि पूर्ण निर्णय पारित किया जाना चाहिये था लेकिन विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट मंगवाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है तथा बिना आगे पिछे 30 फिट का रास्ता हुए बिना ही अपीलान्ट के खेत में 30 फीट चोड़ा रास्ता कायम किया है जो प्रावधानों के विपरित है तथा स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका देखना लिखा है वह भी पत्रावली पर नहीं है तथा आपत्ती बहस सुनकर अंतिम निस्तारण किया है जो विधि विरूद्ध है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का विचाराधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावें। वरवक्त बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड के नक्शे व सर्वेशीट की प्रतियां प्रस्तुत कर आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 पर विधिवत तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार को प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जिसके प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार के पत्रांक/भू.अ./शिविर/2021/51 दिनांक 22.11.2021 व पत्रांक /भू.अ./22/653 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 की ओर से श्री सांवरमल, एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर प्रकरण में आपत्ति आवेदन पेश किया, जिसमें उल्लेखित किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों रिपोर्टस निरस्त कर मौका स्थल पर प्रार्थीगण की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं मौका की रिपार्ट मंगवाये जावें। वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब आवेदन पेश किया गया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया कि ' स्वीकृत रूप से प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में चाहा गया रास्ता कभी भी मौके पर अस्तित्व मे रहा है ऐसा तथ्य आवेदन–पत्र में दर्ज नहीं किया गया है। अर्थात आवेदन–पत्र में चाहा गया रास्ता कभी भी अस्तित्व में नही रह होना स्वीकृत तथ्य है। प्रस्तुत आवेदन में आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता केवल मात्र इस आधार पर क्लेम किया गया है कि चाहा गया रास्ता निकटतम एवं सबसे सुगम रास्ता है प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन में प्रस्तुत रिपोर्टस मय नजरी नक्शा, आपत्ति आवेदन आदि के संबंध में उभयपक्षों को आपत्ति व जवाब आदि के संबंध में सुना जाकर प्रकरण के निस्तारण हेतु स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा पटवार हल्का की उपस्थिति में दिनांक 23.01.2023 को मौका देखा गया। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार के पत्रांक/भू.अ./शिविर/2021/51 दिनांक 22.11.2021 व पत्रांक/भू.अ./ 22/653 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा प्रस्तुत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्टस मय नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि उक्त दोनों रिपोर्ट्स समान तथ्यों से समाहित की जाकर प्रस्तुत की गई है। अतः वकील अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन व जवाब में आक्षेपित उक्त आपत्ति को खारिज किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है क्योंकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अलग–अलग रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट्स मय नजरी नक्शा दिनांकित 22.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रस्तुत किये जाने से पुनः रिपोर्टस मय नजरी नक्शा दिनांकित 14.02.2022 के द्वारा प्रस्तुत की गई, जो कि दोनों समान तथ्यों को उजागर करती है। उपस्थित वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार की रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया। तहसीलदार की धोद की रिपोर्ट के अनुसार सारतः ग्राम खाखोली के खसरा नम्बर 356 में आवागमन हेतु मौके पर आवेदित रास्ता के अलावा वर्तमान में किसी प्रकार का अन्य रास्ता मौजूद नहीं है। आवेदित रास्ता ही लघुत्तम दूरी का है। साथ ही उक्त रिपोर्टस में रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने की अवस्था में दी जाने वाली भूमि का नक्शे सहित प्रस्ताव व प्रस्तावित रास्ते की भूमि की कीमत अप्रार्थीगण को डीएलसी की दर से दुगुनी राशि का विवरण प्रस्ताव उल्लेखित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी की सहमति एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर 1100 वर्गमीटर भूमि रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले दिये जाने के आदेश विचाराधीन निर्णय में पारित किये है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को किसी प्रकार की क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। अपील के स्तर पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार करना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 पर विधिवत तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार को प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जिसके प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार के पत्रांक/भू.अ./शिविर/2021/51 दिनांक 22.11.2021 व पत्रांक /भू.अ./22/653 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 की ओर से श्री सांवरमल, एडवोकेट ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

वकालतनामा पेश कर प्रकरण में आपत्ति आवेदन पेश किया, जिसमें उल्लेखित किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों रिपोर्टस निरस्त कर मौका स्थल पर प्रार्थीगण की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं मौका की रिपार्ट मंगवाये जावें। वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब आवेदन पेश किया गया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया कि ' स्वीकृत रूप से प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में चाहा गया रास्ता कभी भी मौके पर अस्तित्व मे रहा है ऐसा तथ्य आवेदन–पत्र में दर्ज नहीं किया गया है। अर्थात आवेदन–पत्र में चाहा गया रास्ता कभी भी अस्तित्व में नही रह होना स्वीकृत तथ्य है। प्रस्तुत आवेदन में आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता केवल मात्र इस आधार पर क्लेम किया गया है कि चाहा गया रास्ता निकटतम एवं सबसे सुगम रास्ता है प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन में प्रस्तुत रिपोर्टस मय नजरी नक्शा, आपत्ति आवेदन आदि के संबंध में उभयपक्षों को आपत्ति व जवाब आदि के संबंध में सुना जाकर प्रकरण के निस्तारण हेतु स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा पटवार हल्का की उपस्थिति में दिनांक 23.01.2023 को मौका देखा गया। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार के पत्रांक/भू.अ./शिविर/2021/51 दिनांक 22.11.2021 व पत्रांक/भू.अ./ 22/653 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा प्रस्तुत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्टस मय नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि उक्त दोनों रिपोर्ट्स समान तथ्यों से समाहित की जाकर प्रस्तुत की गई है। अतः वकील अप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन व जवाब में आक्षेपित उक्त आपत्ति को खारिज किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है क्योंकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अलग–अलग रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट्स मय नजरी नक्शा दिनांकित 22.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रस्तुत किये जाने से पुनः रिपोर्टस मय नजरी नक्शा दिनांकित 14.02.2022 के द्वारा प्रस्तुत की गई, जो कि दोनों समान तथ्यों को उजागर करती है। उपस्थित वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार की रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया। तहसीलदार की धोद की रिपोर्ट के अनुसार सारतः ग्राम खाखोली के खसरा नम्बर 356 में आवागमन हेतु मौके पर आवेदित रास्ता के अलावा वर्तमान में किसी प्रकार का अन्य रास्ता मौजूद नहीं है। आवेदित रास्ता ही लघुत्तम दूरी का है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट एवं धारा 251 ए विधिक प्रावधानों के अनुसार सभी बिन्दुओं पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील के स्तर पर उठाई गई समस्त आपत्तियों का विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से पूर्व निस्तारण किया गया है। अपील में उठाई गई आपत्तियां विचारण न्यायालय के समक्ष भी उठाई गई थी। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी ने मौका निरीक्षण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने की अवस्था में दी जाने वाली भूमि का नक्शे सहित प्रस्ताव व प्रस्तावित रास्ते की भूमि की कीमत अप्रार्थीगण को डीएलसी की दर से दुगुनी राशि का विवरण प्रस्ताव उल्लेखित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी की सहमति एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर 1100 वर्गमीटर भूमि रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले दिये जाने के आदेश विचाराधीन निर्णय में पारित किये है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को किसी प्रकार की क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... सीकर